



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ 1941 (श10)

(सं० पटना 747) पटना, शुक्रवार, 28 जून 2019

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

28 जून 2019

एस० ओ० 315, दिनांक 28 जून 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 213, दिनांक 08 मई, 2019, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 599 दिनांक 08 मई, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में "21 जून, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "21 अगस्त 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 जून, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1845)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 जून 2019

एस० ओ० 315 दिनांक 28 जून 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1845)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th June 2019

S.O. 315, Date 28th June 2019—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department of S.O. No.213, dated the 08th May, 2019, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide number 599, dated the 08th May, 2019, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “21st day of June, 2019” the figures, letters and word “21st day of August, 2019” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 21 June, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 1845)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 747-571+10डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>